

उत्तर प्रदेश सरकार
गृह (पुलिस) अनुभाग-6
संख्या : 1779 पी/छ:-पु-6-2015-1000(32)/2004
लखनऊ : दिनांक :08 अक्टूबर, 2015

अधिसूचना

प्रकीर्ण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस (असाधारण पेंशन) नियमावली, 1961 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश पुलिस (असाधारण पेंशन) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2015

1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पुलिस, (असाधारण पेंशन) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2015 कहलायेगी।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. उत्तर प्रदेश पुलिस (असाधारण पेंशन) नियमावली, 1961 में, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, नियम-2 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान खण्ड (ड.) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
विद्यमान खण्ड	एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
(ड.) "पुलिस कर्मचारी" का तात्पर्य पुलिस एक्ट, 1861 की धारा (2) के अधीन संगठित पुलिस बल के सदस्य और 1948 ई० का संयुक्त प्रान्तीय आर्म्ड कान्सटैबुलरी एक्ट (संयुक्त प्रान्तीय एक्ट नं०-40 सन्-1948 ई०) के सदस्य से है।	(ड.) 'पुलिस कर्मचारी' का तात्पर्य पुलिस एक्ट-1861 की धारा (2) के अधीन संगठित पुलिस बल के सदस्य और यू० पी० प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटैबुलरी एक्ट, 1948 (यू० पी० एक्ट नं०-40, सन् 1948) की धारा 3 के अधीन बनाये गये उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटैबुलरी के सदस्य और उत्तर प्रदेश फायर सर्विस एक्ट-1944 एवं यू० पी० फायर सर्विस रूल्स-1945 के अधीन संगठित अग्निशमन सेवा बल के सदस्य से है।

3. उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-3 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
<p>3- यह नियमावली राज्यपाल के बनाये नियम से नियंत्रित होने वाले स्थायी या अस्थायी रूप में सेवायोजित सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों (राजपत्रित/अराजपत्रित दोनों) पर लागू होगी जो डाकुओं या सशस्त्र अपराधियों या विदेशी प्रतिरोधियों से लड़ने में या किसी अन्य कर्तव्य का पालन करने के दौरान मारे जायं या जिनकी मृत्यु हो जाय :</p> <p>प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे पुलिस कर्मचारी के परिवार को जिसे इस नियमावली के अधीन अभिनिर्णय दिया गया हो, उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज (एक्स्ट्रा आर्डिनरी पेंशन) रूल्स के अधीन कोई अभिनिर्णय नहीं दिया जायेगा और न यू0पी0 लिबर लाइज्ड पेंशन रूल्स, 1961 अथवा यू0पी0 रिटायरमेन्ट बेनीफिट रूल्स, 1961 के अधीन कोई पारिवारिक पेंशन/आनुतोषिक और न यू0पी0 कन्ट्रीव्यूटरी पेंशन फण्ड रूल्स के अधीन सरकारी अंशदान दिया जायेगा।</p>	<p>3- यह नियमावली राज्यपाल के बनाये नियम से नियंत्रित होने वाले उत्तर प्रदेश के सभी राजपत्रित/अराजपत्रित पुलिस, पी0ए0सी0 अथवा अग्निशमन सेवा कार्मिकों पर लागू होगी चाहे वे स्थायी या अस्थायी रूप में नियोजित किये गये हों, जिनकी मृत्यु कर्तव्य के दौरान निम्नलिखित परिस्थितियों के अधीन हुई हो:-</p> <p>(क) डाकुओं /अपराधियों /विदेशी शत्रु/ उग्रवादियों/आतंकवादियों/नक्सलियों आदि के आक्रमण /लड़ाई के कारण मृत्यु,</p> <p>(ख) आकोशित जनता द्वारा आक्रमण के कारण मृत्यु,</p> <p>(ग) महत्वपूर्ण प्रशिक्षण/प्रदर्शन से गुजरने के दौरान दुर्घटना से मृत्यु,</p> <p>(घ) प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़/भूकम्प/भूस्खलन /बर्फीले तूफान आदि अथवा मानवजनित दुर्घटनाओं जैसे रेल दुर्घटनाओं, टैंकर विस्फोट आदि के बचाव एवं राहत कार्यों के दौरान मृत्यु,</p> <p>(ङ) किसी भी क्षेत्र में आग बुझाने अथवा आग बुझाने में सहायता करने के दौरान मृत्यु,</p> <p>(च) कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र में आक्रमण के कारण मृत्यु, और</p> <p>(छ) कैदी अनुरक्षा के दौरान आक्रमण के कारण मृत्यु।</p>

नियम-5
का
प्रतिस्थापन

4. उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-5 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
5- कोई अभिनिर्णय नियम-3 में उल्लिखित कारणों से भिन्न किसी कारण से हुई मृत्यु के संबंध में नहीं दिया जायेगा।	5- नियम-3 के अधीन आच्छादित कारणों से भिन्न किसी अन्य कारण से हुई मृत्यु के संबंध में कोई अभिनिर्णय नहीं दिया जायेगा।

नियम-6
का
प्रतिस्थापन

5. उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-6 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
<p>6- अभिनिर्णय की धनराशि इस नियमावली से संलग्न अनुसूची में दिये गये उपबन्धों के अनुसार ऐसे पुलिस कर्मचारी की विधवा को स्वीकृत की जायेगी, जिस पर यह नियमावली लागू होती हो। यदि मृत पुलिस कर्मचारी की पत्नी जीवित न रहे अथवा उसकी मृत्यु हो जाय अथवा वह पुनर्विवाह कर ले तो अवयस्क बच्चे ऐसी घटना के दिनांक से ऐसी पूरी पेंशन पाने के हकदार होंगे, जो विधवा को अनुमन्य होती और यह उनमें बराबर-बराबर बांट दी जायेगी। यदि मृत पुलिस कर्मचारी की पत्नी जीवित न रहे अथवा यदि जीवित हो किन्तु उसे आनुतोषिक का भुगतान उसकी मृत्यु या पुनर्विवाह से पहले न किया गया हो तो आनुतोषिक जो विधवा को अनुमन्य होता उन बच्चों में बराबर बांट दिया जायेगा, जो पेंशन के हकदार हों।</p> <p>टिप्पणी- यदि पुलिस कर्मचारी की मृत्यु हो जाय और वह अपने पीछे दो या अधिक विधवाओं को छोड़ जाय तो इस नियम के अधीन अनुमन्य अभिनिर्णय की धनराशि समस्त विधवाओं में बराबर-बराबर बांट दी जायेगी।</p>	<p>6- कोई अभिनिर्णय इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची में दिये गये उपबन्धों के अनुसार ऐसे पुलिस, पी0ए0सी0 अथवा अग्निशमन सेवा कर्मचारी की विधवा/विधुर/आश्रित को स्वीकृत किया जायेगा, जिन पर यह नियमावली लागू होती हो। यदि मृत पुलिस कर्मचारी, पी0ए0सी0 कर्मचारी अथवा अग्निशमन सेवा कर्मचारी का/की पत्नी/पति जीवित न हो अथवा मृत्यु हो जाय अथवा पुनर्विवाह कर ले तो, ऐसी घटना की दशा में आश्रित अवयस्क बच्चे ऐसी पूरी पेंशन पाने के हकदार होंगे, जो विधवा/विधुर को अनुमन्य होती और इसे उत्तर प्रदेश पारिवारिक पेंशन नियमावली के सामान्य दिशा निर्देशों के अनुसार वितरित किया जायेगा।</p> <p>टिप्पणी- यदि पुलिस कर्मचारी की मृत्यु हो जाय और वह अपने पीछे दो या अधिक विधवाओं को छोड़ जाय तो इस नियम के अधीन अनुमन्य अभिनिर्णय की धनराशि समस्त विधवाओं में बराबर-बराबर बांट दी जायेगी।</p>

6. उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-8 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
<p style="text-align: center;">विद्यमान नियम</p> <p>8(1)— पारिवारिक पेंशन, पुलिस कर्मचारी के मृत्यु के अगले दिन से अथवा ऐसे अन्य दिनांक से प्रभावी होगी जो राज्यपाल निश्चित करें।</p>	<p style="text-align: center;">एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम</p> <p>8(1)— पारिवारिक पेंशन पुलिस कर्मचारी, पी0ए0सी0 कर्मचारी अथवा अग्निशमन सेवा कर्मचारी की मृत्यु के अगले दिन से अथवा ऐसे अन्य दिनांक से प्रभावी होगी जैसा राज्यपाल अवधारित करें।</p>
<p>8(2)— पारिवारिक पेंशन साधारणतया: —</p> <p>(1) विधवा अथवा माता अथवा विधवा दादी की दशा में, उसकी मृत्यु या पुनर्विवाह तक इसमें जो भी पहले हो,</p> <p>(2) अवयस्क पुत्र या अवयस्क आश्रित भाई की दशा में उसकी 18 वर्ष की आयु पूरी हो जाने तक अथवा उसकी मृत्यु हो जाने तक, इसमें जो भी पहले हो,</p> <p>(3) अविवाहित अवयस्क पुत्री अथवा अवयस्क आश्रित अविवाहित बहिन की दशा में, उसका विवाह होने तक अथवा उसकी 21 वर्ष की आयु पूरी हो जाने तक अथवा मृत्यु तक, इसमें जो भी पहले हो,</p> <p>(4) पिता या दादा की दशा में जीवन पर्यन्त चालू रहेगी।</p> <p>टिप्पणी :- विधवा को दी जाने वाली पारिवारिक पेंशन पुनर्विवाह होने पर बन्द कर दी जायेगी, किन्तु जब ऐसा पुनर्विवाह, विवाह विच्छेद, अभित्याग (Desortion) अथवा दूसरे पति की मृत्यु हो जाने से रद्द हो जाय तो उसकी पेंशन इस प्रमाण पर फिर बहाल की जा सकती है कि उसकी परिस्थितियों के कारण उसे पेंशन देना आवश्यक है और वह अन्य प्रकार से पात्र है और वह अपने पहले पति (अर्थात् मृत पुलिस कर्मचारी) के बच्चों का भरण-पोषण करती है और उसकी पेंशन फिर बहाल कर दिये जाने पर बच्चों को अनुमत पेंशन देना बन्द कर दिया जायेगा।</p>	<p>(2)— संबधित पुलिस कर्मचारी, पी0ए0सी0 कर्मचारी अथवा अग्निशमन सेवा कर्मचारी के आश्रित की पारिवारिक पेंशन, उत्तर प्रदेश पारिवारिक पेंशन नियमावली के सामान्य दिशा निर्देशों के अनुसार निश्चित की जायेगी।</p>

7. उक्त नियमावली में नियम 9 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान उप-नियम-(2) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप-नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
<p>विद्यमान नियम</p> <p>9(2)— जब किसी पारिवारिक पेंशन के लिए दावा उत्पन्न हो जाय तो उस कार्यालय व उस विभाग का अध्यक्ष, जिसमें मृत पुलिस कर्मचारी सेवायोजित रहा हो, सामान्य माध्यम से निम्नलिखित लेख्यों के साथ उस दावे को राज्य सरकार के पास भेजेगा :-</p> <p>1— उन परिस्थितियों का पूर्ण विवरण जिनमें मृत्यु हुई है,</p> <p>2— महालेखाकार, उ0प्र0 की इस आशय की एक रिपोर्ट कि क्या नियमावली के अधीन अभिनिर्णय अनुमन्य है अथवा नहीं और यदि अनुमन्य है तो कितने धनराशि का।</p>	<p>एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम-2015</p> <p>(2)— जब किसी पारिवारिक पेंशन के लिए दावा उत्पन्न हो जाय, तो उस कार्यालय या विभाग का अध्यक्ष, जिसमें मृत पुलिस कर्मचारी, पी0ए0सी0 कर्मचारी अथवा अग्निशमन सेवा कर्मचारी सेवायोजित था, उचित माध्यम से, उन परिस्थितियों के पूरे विवरण सहित, जिनके कारण मृत्यु हुई, दावा शासन को अग्रसारित करेगा।</p>

नियम-10
का
प्रतिस्थापन

8. उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-10 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
<p>विद्यमान नियम</p> <p>10— राज्यपाल स्वविवेक से अपवादित परिस्थितियों में मृत पुलिस कर्मचारी के बच्चों को नियम-8(दो) (2) (3) में नियत सीमाओं के बाद भी अपनी पेंशन पाने के अनुज्ञा दे सकते हैं।</p>	<p>एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम</p> <p>10— राज्यपाल स्वविवेक से आपवादिक परिस्थितियों में मृत पुलिस कर्मचारी, पी0ए0सी0 कर्मचारी अथवा अग्निशमन सेवा कर्मचारी के आश्रितों को नियम 8(2) में विहित सीमा से परे अपनी पेंशन प्राप्त करने की निरन्तरता की अनुमति दे सकते हैं।</p>

नये नियम-11
का बढ़ाया
जाना

9. उक्त नियमावली में नियम 10 के पश्चात् निम्नलिखित नया नियम 11 बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:-

<p>11.(1) असाधारण पेंशन के अस्वीकृत किये गये दावों पर पुनर्विचार का अधिकार शासन में निहित होगा। इसके लिए आश्रित को अस्वीकृति की अधिसूचना की प्राप्ति के दिनांक से तीन माह के भीतर शासन अथवा पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को प्रत्यावेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। शासन प्रत्यावेदन पर आवश्यक निर्णय लेगा।</p> <p>(2) किसी भी पुलिस कर्मचारी, पी0ए0सी0 कर्मचारी अथवा अग्निशमन सेवा कर्मचारी को असाधारण पेंशन देय नहीं होगी यदि ड्यूटी ग्रहण करने के लिए उपस्थित होने से पूर्व या उसकी अपनी ड्यूटी समाप्त करने के बाद किसी दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है, जब कि वह अपने आवास पर हो अथवा जब किसी स्थान के लिए यात्रा कर रहा/रही हो।</p> <p>(3) उत्तर प्रदेश पुलिस (असाधारण पेंशन) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2015 की अधिसूचना के पश्चात् असाधारण पेंशन के मामलों को निस्तारित करने से संबंधित सभी शासनादेश यथा शासनादेश दिनांक 23 जनवरी 1980 और 19 जुलाई 1978 अप्रभावी हो जायेंगे।</p>

10. उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दी गयी विद्यमान अनुसूची के स्थान पर स्तम्भ-2 में दी गयी अनुसूची रख दी जायेगी, अर्थात् :-

स्तम्भ-1

विद्यमान अनुसूची
पारिवारिक पेंशन और आनुतोषिक


स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित अनुसूची
पारिवारिक पेंशन और उपदान

विधवा को आनुतोषिक	विधवा की पेंशन	विधवा/विधुर को उपदान	विधवा/विधुर की पेंशन
मृत पुलिस कर्मचारी द्वारा अन्तिम बार ली गयी आठ माह के बराबर उपलब्धियां।	मृत पुलिस कर्मचारी द्वारा उस दिनांक तक ली गयी उपलब्धियों के बराबर, जब वह अधिवार्षिक पेंशन पर सेवानिवृत्त हो जाता तत्पश्चात् पेंशन उस धनराशि के बराबर हो जायेगी जो मृत पुलिस कर्मचारी, यदि उसकी मृत्यु न हो गयी होती तो पुलिस कर्मचारियों पर तत्समय लागू साधारण पेंशन नियमों के अनुसार लेता किन्तु ऐसा निम्नलिखित पूर्व धारणाओं के रहते हुए होगा :- क- मृत पुलिस कर्मचारी अधिवार्षिकी के दिनांक तक अर्हकारी सेवा करता रहता और उसे कोई पदोन्नति नहीं मिली थी। ख- यदि मृत कर्मचारी अस्थायी था अथवा स्थानापन्न रूप में कार्य कर रहा था तो उसके स्थायीकरण के सम्भाव्य दिनांक की पूर्व धारणा कर ली जायेगी। यदि मृत कर्मचारी ने अन्तिम बार जिस वेतन क्रम पर कार्य किया हो वह उस दिनांक तक पुनरीक्षित कर	मृत पुलिस कर्मचारी, पी0ए0सी0 अथवा अग्निशमन सेवा कर्मचारी द्वारा अन्तिम आहरित की गयी आठ माह के बराबर परिलब्धियां।	(1) देय असाधारण पेंशन मृत पुलिस कर्मचारी, पी0ए0सी0 अथवा अग्निशमन सेवा के कर्मचारी द्वारा आहरित उस दिनांक के पेंशन की परिलब्धियों (मूल वेतन और उस वेतन पर महंगाई भत्ता) के बराबर होगी, जो वह अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त करता। उसके बाद साधारण पेंशन (पारिवारिक पेंशन नहीं) निम्नलिखित उपधारणाओं के अध्यक्षीन उस धनराशि के बराबर होगी जो मृत पुलिस कर्मचारी तत्समय पुलिस कर्मचारियों पर लागू साधारण पेंशन नियमावली के अनुसार आहरित करता, यदि उसकी मृत्यु न हुई होती:- (क) यह कि मृत पुलिस कर्मचारी अधिवर्षता के दिनांक तक अर्हकारी सेवा में निरन्तर बना रहता और वह कोई पदोन्नति न प्राप्त करता। (ख) यह कि यदि मृत कर्मचारी अस्थायी था अथवा स्थानापन्न हैसियत से काम कर रहा था, तो उसके स्थायीकरण का सम्भावित दिनांक उपधारित कर लिया जायेगा। यदि वेतनमान, जिस पर मृत कर्मचारी ने अन्तिम बार काम किया था, उस दिनांक तक पुनरीक्षित कर

	<p>दिया जाय, जिस दिनांक को वह अधिवार्षिकी पर सेवानिवृत्त होता तो पेंशन की गणना उस पूर्व धारित वेतन पर की जायेगी जो मृत कर्मचारी, यदि वह जीवित होता तो अधिवार्षिकी के समय लेता।</p>	<p>दिया जाता है जिससे वह अधिवर्षता पर सेवानिवृत्त होता तो पेंशन की गणना उस उपधारित वेतन में की जायेगी जो मृत कर्मचारी अधिवर्षता के समय आहरित करता, यदि वह जीवित रहा होता।</p> <p>यदि ऐसे आश्रित हैं जो एक से अधिक असाधारण पेंशन आहरित कर रहे हैं तो उन्हें उसी तरीके से पारिवारिक पेंशन देय होगी।</p> <p>(2) असाधारण पेंशन प्राप्तकर्ता जो सरकारी, अर्द्धसरकारी, स्वायत्तशासी संस्था अथवा किसी लोक उद्यम में काम कर रहा/रही है तो वह विकल्प दे सकता/सकती है कि वह पेंशन धनराशि पर मंहगाई भत्ता लेना चाहता/चाहती है अथवा अपने वेतन पर, जो भी अपेक्षाकृत लाभप्रद हो।</p>
--	--	--

आज्ञा से,


 (देबाशीष पण्डा)
 प्रमुख सचिव, गृह

संख्या 1779 (I) पी/छः-पु-6-2015-1000(32)/2004 एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- उक्त अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी की एक-एक प्रति इस अनुरोध के साथ निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ०प्र० इलाहाबाद को प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को प्रकाशित करते हुए निम्नलिखित को सम्मुख अंकित प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

- | | |
|--|--------------|
| (1)- पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०, लखनऊ। | 10 प्रतियां |
| (2)- महानिदेशक, अग्निशमन सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ। | 10 प्रतियां |
| (3)- महानिदेशक, पी०ए०सी०, उ०प्र०, लखनऊ। | 10 प्रतियां |
| (4)- अपर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद। | 10 प्रतियां |
| (5)- अनु सचिव, गृह (पुलिस) अनुभाग-6, उ०प्र० शासन | 500 प्रतियां |

2- गजट के मुद्रण पर होने वाला व्यय उ०प्र० पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद द्वारा वहन किया जायेगा। अतः मुद्रण व्यय से संबंधित बिल, भुगतान हेतु निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री उ०प्र० इलाहाबाद द्वारा उ०प्र० पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को भेजा जायेगा।

3- अपर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी की एक-एक प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया किसी जानकार सहायक को मुद्रणालय, इलाहाबाद भेजकर यह सुनिश्चित कर लें कि अनुसूची/प्रतियां सही मुद्रित हो रही हैं।

आज्ञा से,

(के०एल० वर्मा)
अनु सचिव।

संख्या 1779 (I.I) पी/छः-पु-6-2015-1000(32)/2004 एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपर्युक्त अधिसूचना (हिन्दी/अंग्रेजी) की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1)- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ०प्र० शासन।
- (2)- पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०, लखनऊ।
- (3)- कार्यालय महालेखाकार, उ०प्र० इलाहाबाद।
- (4)- महानिदेशक, अग्निशमन सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ।
- (5)- महानिदेशक, पी०ए०सी०, उ०प्र०, लखनऊ।
- (6)- अपर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
- (7)- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ०प्र०।
- (8)- वित्त (सामान्य) अनुभाग-3/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/10/12, उ०प्र० शासन।
- (9)- कार्मिक नियमावली सेल, उ०प्र० शासन।
- (10)- न्याय अनुभाग-6/ विधायी अनुभाग/भाषा अनुभाग-5, उ०प्र० शासन।
- (11)- गृह (पुलिस) अनुभाग-8/गृह (पुलिस सेवायें) अनुभाग-1/2, उ०प्र० शासन।
- (12)- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(के०एल० वर्मा)
अनु सचिव।